22

कार्यालय जिलाधिकारी सीतापुर।

संख्याः– 1525/सात–सी0एफ0–38/2015–16–भूलेख   दिनांकः– 05 मार्च, 2020

सार्वजनिक नोटिस

उत्तर प्रदेश राजस्व सहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–8, सन् 2012) की धारा 6(2) के अनुसरण में, एतद्द्वारा यह नोटिस दी जाती है कि ग्राम पंचायत समिति बद्दापुर के प्रस्ताव दि0 14–10–2019 के अनुसार कलेक्टर जनपद सीतापुर, मण्डल लखनऊ ने निम्नानुसार राजस्व ग्राम के नाम में प्रत्यावर्तन/परिवर्तन किये जाने का प्रस्ताव किया है–

1– राजस्व क्षेत्र का विवरण–राजस्व ग्राम अमानुल्लापुर विकासखण्ड पिसावॉ तहसील महोली।

2– प्रत्यावर्तन का विवरण–राजस्व ग्राम अमानुल्लापुर का नाम परिवर्तित कर जमुनानगर किया जाना।

राजस्व ग्राम अमानुल्लापुर का नाम जमुनानगर किये जाने पर यदि इस ग्राम के निवासी, किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति लिखित रुप से अपने समस्त विवरण सहित यथा (नाम/पिता का नाम/निवास स्थान/आधार कार्ड की प्रति/मोबाइल नम्बर सहित) समाचार पत्र में प्रकाशित होने के 15 दिवस के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

उक्त अवधि के पश्चात किसी भी आपत्ति पर विचार नही किया जायेगा।

(अखिलेश तिवारी)
जिलाधिकारी
सीतापुर।

संख्या व दिनांक समांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु।

1– जिला पंचायत राज अधिकारी सीतापुर।

2– उपजिलाधिकारी महोली।

3– जिला सूचना अधिकारी सीतापुर को सार्वजनिक नोटिस 03 प्रतियों में इस निर्देश के साथ कि उक्त नोटिस जनपद सीतापुर के सर्वाधिक सर्कुलेशन वाले 02 दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराकर समाचार पत्र की प्रतियॉ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

4– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी कलेक्ट्रेट सीतापुर कों इस निर्देश के साथ कि उक्त नोटिस जनपद की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी
सीतापुर।